



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939

No. 913]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

- का. आ. 1029(अ).**—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 02.01.2018 को पीडी-12002/02/2017-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री विनोद कुमार पथरोर, सुपुत्र श्री के. एल. पथरोर, निवासी एफ-632, इग्नू केंद्र के पीछे, पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली, को हिरासत में लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।
2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।
3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12002/02/2017 - कोफेपोसा]

पी.वी.सुब्बा राव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(Central Economic Intelligence Bureau)

(COREPOSA WING)

**ORDER**New Delhi, the 8<sup>th</sup> March, 2018

**S.O. 1029 (E)).**—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order No. PD-12002/02/2017-COFEPOSA dated 02.01.2018 under the said sub-section directing that Shri Vinod Kumar Pathror, S/o Shri K.L.Pathror, R/o F-632, Behind IGNOU Center, Palam Extension, Sector-7, Dwarka, New Delhi, be detained and kept in Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No.PD-12002/02/2017-COFEPOSA]  
P.V. SUBBA RAO, Jt. Secy .